बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 100

हकीकत की पड़ताल

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के ताजा शोध ने भारत के आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज कर दी है। अब यह शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनैशनल डेवलपमेंट के शोध-पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ है। इस पत्र में डॉ. सुब्रमण्यन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की तथाकथित 'नई शृंखला' की पड़ताल की है। उन्होंने वास्तविक जीडीपी के आकलन के लिए नई शृंखला के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों की तुलना उस पिछली प्रणाली से की है, जिसमें आधार वर्ष अलग और पहले का था।

उन्होंने पाया है कि जीडीपी की नई शृंखला का अर्थव्यवस्था के अन्य संकेतकों के साथ तालमेल पुरानी शृंखला की तुलना में कम है। यह तालमेल इतना कम है कि भारत तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं में बिल्कुल अलग हो गया है।

पत्र में पुरानी एवं नई शृंखला और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों की तुलना की गई है। इसमें अनुमान जताया गया है कि जीडीपी वृद्धि अनुमान से कई प्रतिशत बिंदु कम हो सकती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 2000 के दशक में वृद्धि के लिए नीति आयोग द्वारा हाल में जारी 'पिछली शृंखला' या हाल की वृद्धि के लिए संशोधित नई शृंखला का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये दोनों हाल की वृद्धि को और अधिक बढ़ा देंगी। उनके शोध के दायरे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोनों सरकारों के कार्यकाल के वर्ष शामिल हैं, इसलिए शोध राजनीति प्रेरित होने के कयास लगाना अनुचित है।

जीडीपी वृद्धि दर को जिस हद तक बढ़ाचढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही जा रही है, उसे लेकर तर्क किया जा सकता है। लेकिन असल मुद्दा यह नहीं है कि वास्तविक जीडीपी की दर 4.5 फीसदी या उससे अधिक है अथवा नहीं। उक्त पर्चा उसी बात को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है जिसके बारे में बहुत पहले से संदेह था कि आधिकारिक जीडीपी आंकड़े विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक कारकों मसलन निर्यात और माल परिवहन आदि से मेल नहीं खाते। डॉ. सुब्रमण्यन ने सीईए रहते हुए भी अपनी बात रखी थी। उस वक्त उन्होंने दलील दी थी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हासिल करना बहुत मुश्किल है जहां निर्यात और ऋण तथा निवेश स्थिर हों या उनमें गिरावट आ रही हो। इस बात का निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए काफी गहन अर्थ है। इसे कतई खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि नई शृंखला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तौर तरीकों का प्रयोग कर तैयार की गई है। यह बात सही हो सकती है लेकिन इससे तुलनात्मकता और विश्वसनीयता जैसे मूलभूत प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। चाहे जो भी प्रक्रिया या तरीका अपनाया जाए, अंतिम नतीजों की जांच आवश्यक है और यह स्पष्ट है कि वृद्धि के मौजूदा तौर तरीके इस पर खरे नहीं उतरते।

अगर आंकड़ों की विश्वसनीयता बहाल करनी है तो आधिकारिक सांख्यिकी के लिए इस्तेमाल पद्धति और नतीजों की फिर से स्वतंत्र जांच जरूरी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने डॉ. सुब्रमण्यन के शोध पत्र को सर्वाधिक अनावश्यक कवायद करार देते हुए कहा कि वह इसका बिंदुवार खंडन जारी करेगी। यह अकादमिक जगत की बहस में एक मूल्यवान योगदान होगा लेकिन इतनी प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है। डॉ. सुब्रमण्यन ने नए जीडीपी अनुमान की प्रक्रिया के नए सिरे से परीक्षण की पृष्ठभूमि तैयार की है। इसका असर उच्च वृद्धि के अनुमानों पर भी पड़ेगा जिनके आधार पर नीति निर्माता काम करते हैं। ऐसे में यह स्वीकार करना ही उचित होगा कि देश की वृद्धि के आंकड़ों पर बादल मंडरा रहे हैं और इन्हें पारदर्शिता बढ़ाकर और हकीकत से इनकी दूरी की जांच करके ही छांटा जा सकता है।

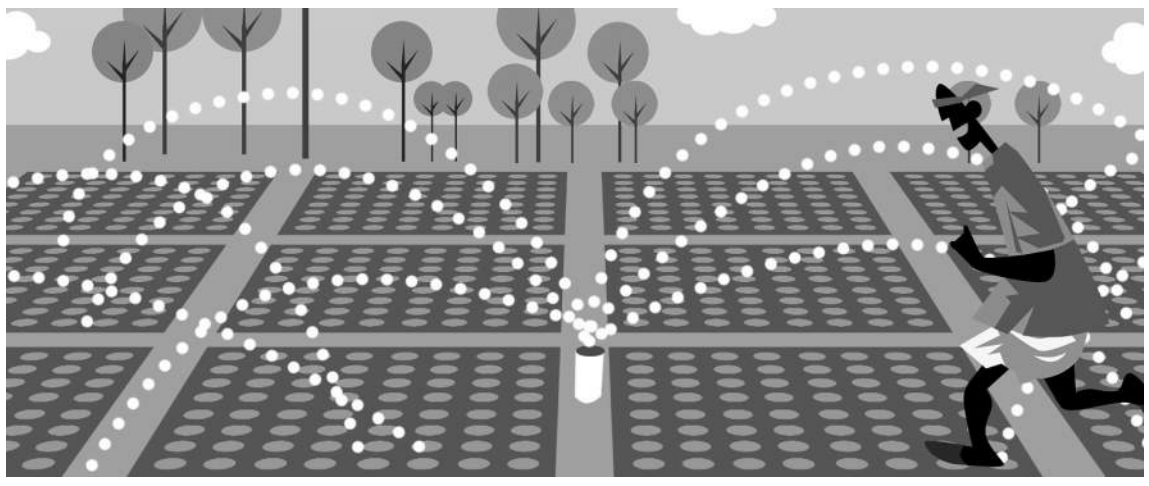

बिनय सिन्हा

जल सुधारों की शुरुआत होनी चाहिए कृषि से

ज्यादा टिकाऊ, विविधीकृत और कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली विकसित करने से बहुत से फायदे होंगे। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **मिहिर शाह**

देश का जल संकट बहुत विकराल हो गया है। जब पंजाब में हमारे कुछ बच्चे यूरेनियम मिला हुआ पानी पीने को मजबूर हैं और बिहार में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है तो हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शहरीकरण की दर बढ़ रही है, जिससे शहरी जलापूर्ति और अपशिष्ट शोधन की बदहाल स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। बार-बार सूखे और बाढ़ से हर साल करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे हमारे जल संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को लेकर निश्चित रूप से सवाल उठाए जाने चाहिए।

ऐसे में पानी को लेकर हर जगह विवादों पर अचंभा नहीं होना चाहिए। ये विवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि शहरों और देशों, कृषि एवं उद्योगों और एक ही गांव या शहरी कॉलोनी के बीच भी हो रहे हैं। मैंने वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी प्रस्तुति में पानी के मौजूदा हालात को 1991 आर्थिक संकट के समान बताया था। मैंने इस प्रस्तुति में उस समिति की सिफारिशों के मुख्य बिंदु पेश किए थे, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। यह समिति केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन पर बनाई गई थी।

ये ऐसे सुधार हैं, जिन्हें दशकों पहले लागू किया जाना चाहिए था। निस्संदेह जल सुधारों में 1991 का खाका नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि उनमें जल के विविध पहलुओं को आवश्यक रूप से और सावधानीपूर्वक शामिल करना होगा। लेकिन इनमें बड़े बदलावों की तत्काल जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैंने पहली बार यह प्रस्ताव वर्ष 2012 में 12वीं योजना के दस्तावेज में पानी के अध्याय में प्रस्तुत किया था। तब से अब तक सात साल बीत चुके हैं, लेकिन देश में इस दिशा में हालात विकट ही हुए हैं।

भारत पानी की कमी वाला देश मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हमने अपने भरपूर पानी के प्रबंधन का कोई नया तरीका नहीं अपनाया। देश में इस चीज को कभी नहीं पहचाना गया कि जल भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण लेकिन बिना सुधारों वाला बुनियादी ढांचा क्षेत्र है। हम दूरगामी सुधारों के बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते।

सुधारों की शुरुआत कृषि से होनी चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के ताजा एक्वास्टेट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 90 फीसदी जल का इस्तेमाल कृषि में होता है। हम इसमें बड़ी कमी लाए बिना कभी भी ग्रामीण एवं शहरी घरेलू जरूरतों और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मुहैया करा पाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि हम जल सुधार के बिना कृषि संकट को भी हल नहीं कर सकते। पिछले तीन दशकों में तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसा भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला।

देश में जल की अधिकतर खपत गेहूं, चावल और गन्ने जैसी कुछ पानी की अधिक जरूरत वाली फसलों में होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे सूखे की आशंका वाले राज्यों में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र में कुल फसली रकबे में गन्ने का हिस्सा महज 4 फीसदी है, लेकिन इस फसल में 65 फीसदी सिंचाई जल की खपत होती है। कर्नाटक में कुल फसली रकबे में चावल एवं गन्ने का हिस्सा 20 फीसदी है, लेकिन इन दो फसलों में 70 फीसदी सिंचाई जल खप जाता है। क्षेत्र के हिसाब से इन फसलों के रकबे में मामूली कमी से भारत की जल की समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि रकबे में इस कटौती से खाद्य सुरक्षा पर कोई जोखिम नहीं पैदा होना चाहिए।

पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में भी किसान पानी की अधिक जरूरत वाली फसलें उगा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इनका सरकारी खरीद या निजी खरीद के रूप में एक भरोसेमंद बाजार है। 20वीं सदी के आखिरी दशकों की हरित क्रांति का एक मुख्य पहलू गेहूं और चावल की सरकारी खरीद करना था। इससे हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बनने के नजदीक पहुंचने में मदद मिली है।

लेकिन शताब्दी बदलने के साथ ही हरित क्रांति नाकाम होने लगी है। अत्यधिक पानी और रसायनों की जरूरत वाली खेती में लागत और जोखिम अधिक हैं। यह भारत के ज्यादातर किसानों के लिए अलाभकारी बनने लगी है। किसानों की शुद्ध आमदनी ऋणात्मक होने लगी है क्योंकि लाभ घट रहा है और लागत बढ़ रही है। स्टॉक बाजार का निवेशक यह जानता है कि बाजार के उतार-चढ़ाव से पार पाने के लिए शेयरों के पोर्टफोलियो को विविधीकृत बनाना जरूरी है। किसानों को मौसम की अनिश्चितता के रूप में एक अतिरिक्त जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जोखिम वाले उद्यम में एक ही प्रकार की फसल उगाना आत्महत्या के समान है। लेकिन सरकारी नीति में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए सीधे प्रोत्साहन नहीं दिया गया। हम फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने में नाकाम रहे हैं।

इसके लिए जरूरी है कि सरकारी खरीद में परंपरागत मोटे अनाज और दलहन जैसी क्षेत्र विशेष और कम पानी की खपत वाली फसलों को शामिल किया जाए। इन फसलों में बाजरा, ज्वार, नवाने और छत्तीसगढ़ की कोडोन-कुटकी जैसी फसलें शामिल हैं, जिन्हें अब सरकार भी 'पोषक खाद्य' कह रही है। गौरतलब है कि कोडोन-कुटकी मधुमेह का कारगर इलाज है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कांगणी (फाक्सटेल मिलिट) में चावल से 81 फीसदी अधिक प्रोटीन होता है। मोटे अनाज जलवायु के अनुसार ढलने वाली फसलें हैं, इसलिए ये भारत में सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम इन्हें समन्वित बाल विकास सेवाएं और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भोजन के रूप में शुरू करें तो हम इन फसलों की बड़ी और अनवरत मांग सृजित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई फायदे मिलेंगे जैसे ज्यादा जल सुरक्षा, मिट्टी की बेहतर सेहत, किसानों को ज्यादा और स्थिर शुद्ध आमदनी और उपभोक्ता की बेहतर सेहत आदि। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चों के लिए विश्व का अब तक का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है।

कृषि संकट से स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या पैदा हो रही है। प्रत्येक भारतीय राज्य में 1990 से 2016 के बीच मधुमेह की बीमारी बढ़ी है। इससे गरीब भी नहीं बच पाए हैं। वर्ष 1990 में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की तादाद 2.6 करोड़ थी, जो 2016 में बढ़कर 6.5 करोड़ पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे खाने से साबुत खाद्य पदार्थ बाहर हो गए हैं और इनकी जगह अधिक ऊर्जा लेकिन कम पोषक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों ने ले ली है। इसके साथ ही खाद्य एवं पानी के जरिये उर्वरक एव कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। हाल के अनुंसधान दिखाते हैं कि वे इससे ल्यूकीमिया एवं लिंफोमा, ब्रेन ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर, इविंग सरकोमा और जर्म सेल ट्यूमर जैसे कैंसर हो रहे हैं। भारत में कैंसर दूसरी सबसे आम बीमारी है, जिससे हर साल करीब 30 लाख मौत होती हैं।

ऐसे में ज्यादा विविधीकृत फसल प्रणाली अपनाने की दिशा में प्रयासों के साथ ही कृषि रसायन के विकल्पों के लिए गहन अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान में विशेष रूप से पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिए जल बचत तकनीकों पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा आंध्र प्रदेश में पहले ही हो रहा है। इस राज्य ने अपने कुल कृषि रकबे 80 लाख हेक्टेयर को 2027 तक प्राकृतिक कृषि में तब्दील करने की योजना बनाई है। इस कदम की नीति आयोग ने भी प्रशंसा की है। भारत को अपने जल क्षेत्र में पहला और सबसे अहम सुधार यह करना चाहिए कि एक अधिक टिकाऊ, विविधीकृत और कम पानी की खपत वाली कृषि प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यह सबसे जल्द लागू किया जा सकने वाला भी बदलाव है, जिसके बहुत से फायदे मिलेंगे।

(लेखक शिव नाडर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं।)

मंदी के भंवर से निकलने के लिए जरूरी भूमि और श्रम सुधार

नीति नियम

मिहिर शर्मा

नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे को लेकर आशावादी अनुमानों के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि सुधार को लेकर कोई नया और व्यापक एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी तीन वजह हैं। पहली, इस प्रक्रिया में शामिल लोग इन अनुमानों को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं करते। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सक्षम होने के बावजूद वाणिज्य मंत्रालय में अपने पिछले कार्यकाल में कोई सुधारवादी कदम नहीं उठा सकी थीं। दूसरा, सुधारवादी एजेंडे को लेकर उलटबयानी होती रही है। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा जाता रहा कि सरकार ने दूरगामी सुधार लागू किए हैं और अर्थव्यवस्था में उनका लाभ भी नजर आ रहा है। अब अगर देश को बताया जाए कि देश को बड़े आर्थिक सुधार की जरूरत है तो यह अपने आप में विरोधाभासी होगा। अंत में, ऐसा लगता नहीं कि निर्णय लेने वाले लोगों को सुधार की जरूरत महसूस होती है। क्योंकि सरकार को पिछले कार्यकाल की तुलना में बड़ा बहुमत हासिल हुआ है।

कई देशों में चुनाव नीतिगत कार्यक्रमों को आधार बनाकर ही लड़े जाते हैं। कुछ दल अथवा प्रत्याशी स्वास्थ्य सुविधाओं या कर वंचना से संबंधित नीतियों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी इन नीतियों को लेकर अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। दोनों अपनी प्राथमिकताएं जाहिर करते हैं। खेद की बात है कि भारत में हाल में जो चुनाव हुए हैं, वे इन मसलों पर बहस से परे थे। यही कारण है कि 2014 में हमें कोई अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, न ही हमें अब पता है कि वह क्या करने वाले हैं। यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमजोरी है। हमारे यहां किसी राजनेता को सत्ता सौंपने के पहले नीतिगत एजेंडे की समुचित जांच परख भी नहीं की जाती है और अक्सर सत्ता में आने के बाद ऐसा एजेंडा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में कीमती समय नष्ट होता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंततः यह स्वीकार कर लिया है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि में धीमापन आ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में धीमापन दर्ज किया गया है। मोदी सरकार की अंतिम मंदी राजनीतिक रूप से संवेदनशील वक्त में आई थी जब सरकार मामला संभालने का प्रयास कर रही थी। इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार इसे हल करने की बेहतर संभावना है। भले ही सुधार की कोई वास्तविक इच्छा या प्रोत्साहन नहीं हो लेकिन मंदी की आशंका के चलते सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हों।

वित्त मंत्रालय मंदी के लिए जीडीपी के तीन घटकों को उत्तरदायी ठहराती है: निजी खपत, तयशुदा निवेश और निर्यात। यह बात उस आम धारणा को प्रतिबिंबित करती है कि निर्यात और निजी निवेश पिछले कुछ वर्ष से भले ही संकट में हैं लेकिन खपत और सरकारी निवेश के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रही। यह अस्थायित्व भरा मॉडल है। इससे सरकार के पास नकदी की कमी होगी और राजकोषीय अंतराल उत्पन्न होगा। अगर अन्य बुनियादी कारक मजबूत नहीं हुए तो खपत में तेजी नहीं आ सकती। इस चरण में अगर अन्य दो घटकों के बजाय खपत को बढ़ाने पर जोर दिया गया तो यह सही नहीं होगा। निवेश को नुकसान लंबी अवधि के ढांचागत कारणों से हुआ है जिसे हल किए जाने की जरूरत है।

निजी निवेश की बात करें तो कई सरकारें इसी बात पर यकीन करती आई हैं कि समस्या वित्तीय क्षेत्र में है। खासतौर पर बैंकों में। तमाम अन्य पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी मानती है कि कम ब्याज दरें ही रामबाण हैं। उसका मानना है कि अगर केवल ब्याज दरें कम कर दी जाएं तो तमाम दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। वे दिक्कतें भी जो कारोबारी जगत को लेकर सरकार के कदमों से उत्पन्न हुई हैं। बहुत खेद की बात है कि बैंक ब्याज दरें कम करने के मामले में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक दरों में निरंतर कटौती कर रहा है। दिक्कत यह है कि बैंकिंग तंत्र की सफाई करने के क्रम में बैंक ऐसे तरीके नहीं अपनाते कि कम ब्याज दर का सीधा लाभ ग्राहकों को पहुंचे। दूसरी ओर, कम दरें और स्वस्थ बैंक लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर साबित होंगे। बैकों की बैलेंसशीट बेहतर करने के लिए फंसे हुए कर्ज पर सख्ती बरकरार रखनी होगी। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरबीआई ने फंसे हुए कर्ज की रिपोर्टिंग के मानक शिथिल कर दिए हैं। इस सिलसिले में लंबी और अल्पावधि के उपाय अत्यावश्यक हैं।

ढांचागत समस्याओं को गलत समझने से निर्यात पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की यह घोषणा एकदम उचित है कि निर्यात की असल समस्या उसका गैर प्रतिस्पर्धी होना है। सवाल यह है कि क्यों? गोयल कहते हैं कि ब्याज की लागत निर्यातकों के लिए समस्या बनी हुई थी? इसमें दो राय नहीं कि पूंजी की लागत कई के लिए बहुत अधिक है। खासतौर पर उस समय जबकि इसकी तुलना चीन जैसे गैर बाजार वित्तीय ढांचों से की जाए। अन्य बुनियादी बातों की भी कीमत चुकानी पड़ती है: मिसाल के तौर पर भूमि और कौशल वाले श्रमिक। सरकार ने बिजली की आपूर्ति सुधारने में काफी मेहनत की है और बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। परंतु यह निवेश में नई जान फूंकने में कामयाब नहीं रहा।

राजग सरकार के कार्यकाल में ज्यादातर वक्त निर्यात स्थिर बना रहा। निर्यात में सुधार होने से निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश मौजूदा मंदी के भंवर से बाहर भी निकल सकता है। परंतु उसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले सुधार करने होंगे ताकि तमाम कारोबारी क्षेत्रों को लाभ मिल सके। निर्यातकों के लिए सब्सिडी, ब्याज या कर दरों में मामूली रद्दोबदल से काम नहीं चल पाएगा। भारत ने भूमि और श्रम सुधार के लिए लंबा इंतजार किया है। अब वह आगे और प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

कानाफूसी

विवादित पोस्टर

इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में लगे पोस्टर ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा एक तेंदुए के चेहरे पर लगा दिया गया था और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस तेंदुए को दबोचे हुए थे। जल्दी ही यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं समेत तमाम लोगों ने उस पोस्टर की आलोचना की। हो हल्ला बहुत अधिक बढ़ जाने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने आयोजकों से कहकर उस पोस्टर पर ममता बनर्जी का चेहरा ढकवा दिया। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सफलता मिली थी। विजयवर्गीय प्रदेश में पार्टी के प्रभारी थे और उन्हें इस सफलता का श्रेय दिया गया।

चर्चित मुलाकात

जमायत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने गत सोमवार को दिल्ली में ईद मिलन रात्रिभोज का आयोजन किया। इस रात्रि भोज में कई प्रमुख राजनेता भी शामिल हुए। आयोजन का सबसे चर्चित लम्हा वह था जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल और कांग्रेस नेता तथा पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल एक ही टेबल पर बैठे। दोनों पूरी शाम एक दूसरे से बातचीत में मशगूल रहे। डोभाल को हाल ही में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में वह खुफिया ब्यूरो के निदेशक थे।

आपका पक्ष

स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की योजना

केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। सरकार के मुताबिक देश में 14 करोड़ घरों में स्वच्छ जल नहीं पहुंचा है। छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में स्वच्छ जल तक पांच प्रतिशत से भी कम लोगों की पहुंच है। इन राज्यों में 95 प्रतिशत लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ये सरकारी आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। स्वच्छ पेयजल की कमी से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं जिससे कई बीमारियां होती हैं। बीमारी के कारण व्यक्ति को अतिरिक्त खर्च के बोझ चले दबना पड़ता है। बीमारी के कारण काम पर नहीं जा पाने की वजह से मासिक वेतन पर भी प्रभाव पड़ता है। छह राज्यों में 95 प्रतिशत लोगों को साफ पानी नहीं पहुंच पाना अर्थात दूषित

पानी का सेवन करना है। कई क्षेत्रों में लोग कुएं, चापाकल या पानी के स्रोत से प्राप्त पानी को सीधे पीते हैं। पानी को उबाल कर पीने से उसमें विषाणु मर जाते हैं लेकिन लगता नहीं कि इन जगहों में आमतौर पर लोग पानी उबाल कर पीते होंगे। इसके अलावा चापाकल से निकलने वाला पानी खारा होता है और इसे बगैर शोधित कर पीने से बीमारी भी होती है। केंद्र सरकार की पेयजल सुलभ कराने की पहल सराहनीय है लेकिन सरकार को सभी लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा

मोहित कुमार, नई दिल्ली

मानव अंग का अवैध कारोबार और कानून

देश में मानव तस्करी के साथ मानव अंग की तस्करी का अवैध कारोबार वर्षों से चला आ रहा है। समय-समय पर मीडिया में मानव अंग तस्करी की खबरें आती रहती हैं। हाल में अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर पुलिस ने फरीदाबाद के एक अस्पताल से एक समन्वयक को गिरफ्तार किया है। उस पर अंतरराष्ट्रीय गुर्दा प्रत्यारोपण गिरोह के सदस्य होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने गुर्दा प्रत्यारोपण के एवज में अधिक पैसे लिए हैं। देश में मानव अंग की कमी के कारण प्रत्यारोपण नहीं हो पाने की वजह से कई लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। देश में जागरूकता की कमी के कारण काफी व्यक्ति अपना अंग दान नहीं करना चाहता है। इसके पीछे रूढ़िवादी सोच होती है कि संपूर्ण शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। दूसरी वजह सरकार की नीतियां भी हो सकती हैं। सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के लिए कानून बनाया है कि कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को ही अंग दान दे सकता है। इस कानून का मकसद मानव अंग के अवैध कारोबार में रोक लगाना है। लेकिन यह कानून उस व्यक्ति के लिए अभिशाप बन सकता है जिसके परिवार में कोई अंग दान देने वाला नहीं बचा हो। अंग दान के लिए ब्लड ग्रुप समान होने के साथ कई तरह की समानताएं देखी जाती हैं। सरकार ने सरोगेट माता के लिए भी कानून बनाया है जिससे कि इसके अवैध कारोबार को खत्म किया जा सके। सरकार को इस कानून को कड़ाई से लागू करना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।